

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक:एफ.8()आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2020/3934-4) जयपुर, दिनांक 26.03.2020

स्वीकृति

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 33-4/2020-NDM-1 दिनांक 14.03.2020 द्वारा COVID-19 को आपदा घोषित किया गया है। कोरोना वाइरस (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के बाडमैर मेडिकल कॉलेज में प्रयोगशाला स्थापित किए जाने हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांग अनुसार उपकरण/सामग्री क्रय हेतु राशि रूपये 274.10 लाख (अक्षरे दो करोड़ चौहतर लाख दस हजार मात्र), अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से हस्तान्तरित किए जाने की एतद् द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में निम्न बजट मंद पर प्रभार्य होगा-

2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02- बाढ चक्रवात आदि

282- लोक स्वास्थ्य

(07)- (बाढ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य)

[01]- [दवाईयों की पूर्ति]

22- सामग्री ओर प्रदाय (केन्द्रीय सहायता 100 प्रतिशत राशि रूपये 274.10 लाख)

उक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जा रही है:-

- 1 उक्त उपकरण/सामग्री की क्रय प्रक्रिया में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
- 2 RTTP Act 2012 एवं RTTP Rules 2013 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- 3 उक्त स्वीकृति इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ1()आ.प्र. एवं सहा/आ.प्र./2020/3783-89 दिनांक 20.03.2020 के अनुसरण में जारी की जाती है।
- 4 उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2020 के पश्चात उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, (लेखा एवं हक) जयपुर, राजस्थान।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संवाये, जयपुर।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग जयपुर, राज।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार कार्यालय आई.डी. संख्या 28005 को बजट आवंटित करावें।
7. अतिरिक्त निदेशक प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
8. कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।


संयुक्त शासन सचिव

22